न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बापिणी जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारीः— अमिता विश्नोई, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—120/2023

प्रार्थी :—

1. हुकमाराम पुत्र राणाराम जाति जाट निवासी कपूरिया तहसील बापिणी जिला फलोदी

—: बनाम :—

अप्रार्थी :—

2. लालाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी कपूरिया तहसील बापिणी जिला फलोदी

उपस्थितिः—

1. श्री रघुवीर सिंह भाटी वकील प्रार्थी की और से।
2. श्री विक्रम सिंह भाटी वकील अप्रार्थी की और से।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट

—आदेश—

दिनांक :— 16/9/25

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत रा 251 (क) आर.टी. एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम कपूरिया की रहद में स्थित खसरा नम्बर 233 रकबा 1414 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम से खातेदारी व ब्जा काश्त सुदा आई हुई है। उक्त वर्णित भूमि के पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 233/01 कबा 29.06 बीघा भूमि अप्रार्थी के नाम की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा आई हुई । उक्त भूमि से आगे पूर्व में रास्ता आया हुआ है। उक्त वर्णित प्रार्थी के खातेदारी की मि में आने जाने हेतु कटाण रास्ते से अप्रार्थी की भूमि के पश्चिमी दक्षिणी हिस्से में से दीमी रास्ता चलता है, जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है। इसके लावा प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए दुसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने हाल ही में उक्त रास्ते को अवरूद्ध व बन्द करने पर आमादा है। प्रार्थी ने प्रार्थी का उक्त रास्ता राजस्व रेकड में दर्ज करवाने के लिए कहा किंतु उक्त रास्ते का

सहायक कलेक्टर बापिणी

मामला पारस्परिक सहमती से तय नहीं हुआ इसलिये प्रार्थी न्यायालय हाजा में उक्त रास्ता तय करने व राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्व में सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां के न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 220/2013 अनवान हुकमाराम बनाम लालाराम में पारित आदेश दिनाक 30/11/2015 अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के द्वारा निर्णित हो चुका है। निर्णय दिनाक 30/11/2015 से व्यथित होकर अप्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर में अपील दायर की गई। उपरोक्त अपील दिनाक 18/11/2016 को माननीय न्यायलय आर. आर. ए. जोधपुर द्वारा इस आदेश के साथ निस्तारित की गई कि पूर्व में पारित आदेश दिनांक 30/11/2015 को निरस्त किया जाकर विस्तृत जांच एवं तथ्यात्मक जानकारी के साथ उभम पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये निस्तारित की जावें । उपरोक्त आदेश के अंतर्गत पत्रावली पुनः अधिनस्थ न्यायालय ओसियां को प्रतिप्रेषित की गई जहाँ 20/01/2017 को पत्रावली को पुनः दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार ओसियां से मौका रिपोर्ट चाही गई। लोहावट में उपखण्ड कार्यालय सृजित होने तथा उक्त प्रकरण का क्षेत्राधिकार लोहावट उपखण्ड होने से पत्रावली ओसियों से लोहावट स्थानांतरित की गई। तत्पश्चात बापिणी नवीन उपखण्ड कार्यालय सृजित हो जाने से मुल पत्रावली दिनाकं 03/10/2023 को उपखण्ड कार्यालय बापिणी को स्थानांतरित की गई तथा प्रार्थना पत्र रजिस्टर किया गया। दिनाक 21/12/2024 को तहसीलदार बापिणी को मौका रिर्पाट हेतु आदेशित किया गया तथा पत्रावली वास्ते इंतजार मौका रिपोर्ट नियत की गई।

तहसीलदार बापीणी द्वारा मौका फर्द दिनांक 24.07.2024 की बनी हुई रिपोर्ट पेश कि जो शामिल मिसल की जाकर पत्रावली बहस के लिए मुकर्रर की गई।

उभयपक्ष अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने पार्थना पत्र के मिमो को दौराहते हुए प्रथम मौका रिपोर्ट. दिनांक 28.07.2024 भु अभिलेख निरीक्षक मतौडा व द्वितिय रिपोर्ट दिनांक 24.07.2024 भु– अभिलेख मतोड़ा द्वारा बनाई गयी है उक्त दोनो रिपोर्ट एक समान आई है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे बताया कि प्रार्थी को कटाणी रास्ते से अप्रार्थी की भूमि के अन्दर 15 फुट चौडा प्रार्थी की भूमि तक तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थी विधि अनुसार एवं डी.एल.सी. की असिचिंत भूमि की दर से अनुसार रास्ते की भूमि का प्रतिकर न्यायालय हाजा द्वारा अवधारित करने पर अदा करने के लिए तैयार हैं। अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि असिंचित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करते है। कटाण के रास्ते से प्रार्थी की भूमि में खाद बीज व अनाज एवं चारा आदि की झाले व ट्रक आने जाने के लिए 15 फुट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है, जिससे कि ट्रक व चारे की

सहायक कलेक्टर बापिणी

झालें आसानी से आ सके एवं आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो। प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है एवं नजरी नक्शे में दर्शाया गया रास्ता लघुतम् एव निकटतम रास्ता है। कि न्यायहित में कटाण रास्ते से उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि में प्रार्थी के आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 233/1 रकबा 29.06 बीघा में से नजरी नक्शे में दर्शाए गये लाल रंग से मार्क ए से बी तक 15 फुट चौड़ा रास्ता की आवश्यक्ता हैं इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौका रिपोर्ट अनुसार बिन्दु ए से बी रास्ता मंजुर किये जाने का आग्रह किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने बहस मे प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुए अप्रार्थी ने दिनांक 23.06.2014 को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जबाब पेश कर बताया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 233 रकबा 14.14 बीघा जरूर आई हुई है लेकिन प्रार्थी ने जान बूझकर नजरी नक्शा गलत पेश किया। नजरी नक्शा अप्रार्थी को अस्वीकार होने के कारण काबिले खारिज है। अप्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 233/1 रकबा 6.00 बीघा जरूर आई हुई है। अप्रार्थी को कृषि भूमि के आगे खसरा नम्बर 234 एवसं 233/2 आया हुआ है। प्रार्थी का यह कथन सरासर गलत है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने का कटाणी रास्ता अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के पश्चिम दक्षिण हिस्से में से चलता हो। यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि खसरा संख्या 233 के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 234 स्थित है एवं खसरा संख्या 234 के पूर्व दिशा में कटाणी रास्ता आ हुआ है। यहां पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है के मूल खसरा संख्या 233 में आने जाने के लिए खसरा संख्या 234 का उपयोग उपभोग करते आ रहे है, जिसे नजरी नक्शे में अ से ब भाग दर्शाया गया है।

अप्रार्थी ने अपने जबाब में आगे बताया कि जबाब प्रार्थना पत्र क साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता चालू हालत में है तथा प्रार्थी उसका उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी ने झुठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया इस कारण इसे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थी वर्तमान समय में अपनी कृषि भूमि में जाने जाने का उपयोग जबाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार करता आ रहा है। अप्रार्थी ने कभी उजर एंतराज नहीं किया। यदि प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में रास्ते को दर्ज करवाना चाहता है तो जितनी भूमि रास्ते के लिए उपयोग आ रही है उतनी ही भूमि प्रार्थी से अप्रार्थी को दिलाई जावे। प्रार्थी कटाणी रास्ते से खसरा नम्बर 234 में होते हुए खसरा नम्बर 233/2 के उत्तरी पूर्व किनारे अपनी खातेदारी कृषि भूमि में जाता–जाता है। खसरा संख्या 234 में से होकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 233 के निकटतम लघुतम रास्ता बिन्दु सी. डी. ई. है जहां पर रास्ता गुजरने वाला मार्ग प्रार्थी के लिए निकटतम लघुतम एवं सुविधाजनक है। अतः प्रार्थी ने झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो काबिले खारिज है।

सहायक कलेक्टर बापिणी

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार, ओसियां व बापिणी से मौका रिपोर्ट के लिए तहरीर जारी करने हेतु लिखा गया, भू अभिलेख निरीक्षक, रायमलवाड़ा ने दिनांक 04.03. 2014 को मौका जांच रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि खसरा नम्बर 233 रकबा 14.14 बीघा व खसरा नम्बर 243/3 रकबा 5.11 जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 खाता नम्बर 254 खातेदार स्वरूपाराम, हुकमाराम, हिम्मताराम, संग्रामराम, ओमाराम, अलाराम पि. राणाराम, बरजू बवा राणाराम के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 233/1 रकबा 29.06 बीघा लालाराम पि. हीराराम जाट रहन एसबीबीजे शाखा ओसियां खाता नम्बर 225 में दर्ज है। खसरा नम्बर 233 में जाने के लिए खसरा नम्बर 243/3 दोनों के एक करने के लिए खसरा नम्बर 233/2 रकबा 29.07 बीघा खातेदार तिलोकाराम पुत्र हीराराम जाट रहन टीएजीबी, पंडित जी की ढ़ाणी खाता नम्बर 78 में दर्ज है। प्रार्थी खसरा नम्बर 233 में हुकमाराम व खसरा नम्बर 243/3 में संग्रामराम, हिमताराम, ओमाराम व अलाराम के रहवासीय कमान बने हुए है, जिसे मिलाने के लिए रास्ता चाहा गया है, जिसकी लम्बाई 830 फुट व चौडाई 13 फुट रकबा लगभग 0.12 बीघा बनता है।

चुकिं हस्तगत प्रत्रावली प्रति–प्रेषित होने पर पुनः नम्बर पर ली जा कर तीसरी बार मौका रिपोर्ट मगवाई गई जो दिनांक 09.06.2025 को बनाई हुई प्राप्त हुई। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी ने मौके पर सहमति से जमीन के बदले जमीन देकर रास्ता दिये जाने का प्रस्ताव करने पर अप्रार्थी ने स्वीकार कर लिया गया। रिपोर्ट में बिन्दु ए से बी रास्ते में काम आने वाला रकबा 0.1326 हैक्टेयर मार्ग घोषित किये जाने के बदले प्रार्थी के खसरा नम्बर 233 में जमीन 0.1326 हैक्टेयर भूमि दोनो खसरों के बिच की सीमा पर बिन्दु ए से ई तक दी जाती हैं। और पक्षकारों के विद्ववान अधिवक्ताओं ने मौके रिपोर्ट पर कोई ऐजराज नहीं करते हुऐ रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने का आग्रह किया हैं।

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित इस्तदुआ, मौका रिपोर्ट व वकुलाय की बहस सुन कर पत्रावली का गहन विश्लेष्ण कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर आदेश दिया जाता है कि कटाण रास्ते से प्रार्थी के आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 233/1 में से लम्बाई 290 मीटर व चौड़ाई 04 मीटर रकबा लगभग 0.1326 हैक्टेयर रास्ते में काम आने वाली भुमि के बदले प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 233 में रकबा 0.1326 हैक्टेयर दोनों खसरों के बिच की माठ पर चिपती हुई बिन्दु ए से ई पर दी जाती हैं। अप्रार्थी की खातेदारी में से रास्ता प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भूमि लगभग लगभग 0.1326 हैक्टेयर भूमि, जो मौका फर्द में वर्णित नजरी नक्शा में मार्क ए से बी तक भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानोनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जावे तथा आदेश की पालनार्थ तहसीलदार,

सहायक कलेक्टर बापिणी

बापिणी को तेहरीर जारी हो। तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 9/6/25 इस निर्णय का भाग रहेगी।

आदेश आज दिनांक 16 /09/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बापिणी